SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता

गायत्री गोयल, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद, जिला–जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
गायत्री गोयल, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद, जिला–जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 23/09/2021
Revised on : -----
Accepted on : 30/09/2021
Plagiarism : 02% on 23/09/2021

शोध सार

भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित है, किन्तु आदिकाल से ही वह पुरुषों से आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं रही। विकसित देशों में महिलाओं पुरुषों के साथ बना भेदभाव के कार्य करती रहती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे–जैसे महिलाओं में विकसित हो रहा है, क्रमशः कृषि, पशुपालन के अतिरिक्त औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है।'' श्रमिक महिलाएं प्रायः असंगठित क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। उनमें शहरी एवं ग्रामीण दो प्रकार के परिवेश उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। शहरी एवं ग्रामीण कार्यो में भी अंतर पाया जाता है। इस कारण महिलाएं कार्य के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित हो गई है। असंगठित क्षेत्र जहाँ श्रमिकों की कार्य दशाएं अनिश्चित होती है, श्रम कानून भी असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। इस कारण असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी विसंगतिया पाई जाती है।

मुख्य शब्द

सहभागिता, असंगठित क्षेत्र, महिलायें, आर्थिक स्थिति.

प्रस्तावना

मानवजीवन के प्रारम्भिक सोपान पर किसी भी व्यक्ति के विकास व उसके भावी जीवन का सशक्त आधार स्तम्भ होता है। देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के कार्यरत महिलाओं के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। कार्यरत् महिला न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भावी कर्णधार भी हैं और इस आयु में संग्रहीत मूल्यों एवं कौशल के आधार पर व्यक्ति

भविष्य में एक खुशहाल परिवार, स्वस्थ समाज तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक योगदान करती हैं। इसी महत्ता के कारण लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक सरकारों द्वारा कार्यरत् महिलाओं का विकास राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होती है। वैसे तो महिलाओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या से कोई भी देश अछूता नहीं है, लेकिन हमारे देश में यह एक ज्वलंत समस्या और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। स्वतंत्रता के 70 वर्षा के बाद भी महिलाओं का शोषण तथा महिला का नियोजन बदस्तूर कायम है। नारियों में समानता की भावना विकसित करने एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है, फिर भी भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की आकांक्षाओं को सामाजिक बंधन के कारण साकार रूप नहीं मिल सका है। आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं को मानसिक श्रम के अलावा शारीरिक श्रम भी करने को बाध्य होना पड़ता है, जिसके लिये उनकी अशिक्षा, प्रशिक्षण और दिशा निर्देश का अभाव है। अंततः महिलायें कई तरह के शारीरिक श्रम कार्य जैसे कि भवन निर्माण कार्य में बतौर श्रमिक कार्य करने के लिये विवश होती है, जिसके लिये पढ़ाई और योग्यता की जरूरत नहीं होती है। महिला श्रमिकों के श्रम को कई तत्व प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता स्वाभाविक है। महिला श्रमिकों को कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जिसमें कई कठिनाइयाँ आती है। भारतीय समाज में महिला–पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त है, फिर भी पढ़ी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है, और न स्वयं महिला को खुद को बराबर समझने की मानसिकता बन पाई है। महिला श्रमिकों का आर्थिक, शारीरिक शोषण न होने पाये, इसके लिये इतने कानून बने हैं, फिर भी महिलाओं के श्रम शोषण की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। पुरुष श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से श्रमिक महिलायें भी कार्य करती हैं। आजकल भवन निर्माण का कार्य निरन्तर हो रहा है, जिसमें अनेक ग्रामीण महिलायें कार्यरत हैं। श्रमिक महिलाओं को भवन निर्माण जैसे कठिन कार्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिक महिलाओं का शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक, शोषण निरन्तर हो रहा है और इनकी समस्याओं को कोई न सुनने वाला है और न ही समस्याओं का समाधान करने वाला है। इन्हें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80% है। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं, जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। गांवों में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं।शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग है जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों–महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल है, जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा, अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है, इसलिये न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम हैं।

अस्थायी रोजगार

असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुँच पाता। बिचौलियों और अपने नियोक्ताओं द्वारा भी इनकी उपेक्षा की जाती है। श्रम कानूनों के तहत अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहाँ श्रमिक कानून लागू नहीं होते, इसलिये इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती और

इनके लिये स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं। खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं, बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन–शोषण आम बात है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के न होने का मसला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ा है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कांच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और विषाक्त रसायनों तथा जहरीले धुएँ आदि के संपर्क में आकर श्वास संबंधी बीमारियों, दमा, आँखों में जलन, तपेदिक, कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इन सब के बावजूद आज भी इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में आजीविका असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व (मैटरनिटी) सुरक्षा, छोटे बच्चों की देख–रेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दे बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कोई भी सामजिक सुरक्षा योजना के लाभ पहुँचाने की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जब तक ऐसे कामगारों को चिन्हित न कर लिया जाए, तब तक इनका लाभ यह वर्ग नहीं उठा सकता... और यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जटिल आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सकें, इसीलिये सरकार समय–समय पर अनेक योजनाएँ चलाती तो है, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएँ हैं, जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती हैं।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में से अधिकांश को न तो सरकारों की ओर से तय न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा इन्हें मिल पाती है। उन्हें चिकित्सा, देखभाल, दुर्घटना, मुआवजा, वेतन सहित अवकाश और पेंशन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये समग्र नीति बनानी चाहिये और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में उचित भागीदारी देनी चाहिये। सरकार को विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र, घरेलू नौकरों, मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों और रेहड़ी–पटरी वालों पर ध्यान देना चाहिये। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नीति निर्माण में भागीदारी देनी चाहिये और राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिये। इस क्षेत्र में बच्चों को काम देने वाले संस्थानों के आकार–प्रकार और उनके काम अनेक प्रकार के हैं, जिनमें से कुछ ये हैं घरेलू कामकाज, मोटर वर्कशाप, परचून की दुकानें, साईकिल मरम्मत, छपाई प्रेस और सभी प्रकार की छोटी दुकानें। ईंट भट्टा, पत्थर खादानों आदि उद्योगों में भी स्थिति ऐसी ही है। मजदूरों को खासकर बच्चों को बंधुआ बना लेने की घटना आम है। कृषि क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। इसमें बहुसंख्यक बाल मजदूर हैं। इसमें खास दुःख पहुँचाने वाली बात यह है कि खेतिहर मजदूरों में लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। मजदूर लड़कियों के काम की मात्रा भी लड़कों से कहीं अधिक है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को काम देने वाला क्षेत्र कुटीर उद्योग या हस्तलिपि है। आर्थिक मंदी और आपदा की स्थिति में बेरोजगारी की पहली और सबसे बड़ी मार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को झेलनी पड़ती है। महामारी की दूसरी लहर ने इस क्षेत्र पर एक बार फिर से ताले लगा दिए हैं।

राजनीति, समाजनीति और अर्थनीति में सफलता का मूल तत्व संगठन शक्ति ही है। राजनीतिक सत्ता संगठन के बल पर हासिल की जाती है, सामाजिक वर्चस्व एकजुटता से बनता है और आर्थिक समृद्धि संगठित व्यवस्था के जरिए सोपान चढ़ती है। संगठन शक्ति का ही परिणाम है कि दस फीसदी से भी कम श्रमशक्ति वाला अर्थव्यवस्था का संगठित क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पचास फीसदी का योगदान करता है। जबकि बाकी पचास फीसदी की भरपाई करने में असंगठित क्षेत्र के नब्बे फीसदी से अधिक श्रमिक पसीना बहाते हैं। असंगठित क्षेत्र के पक्ष में बातें तो होती हैं, लेकिन ये व्यवहार में नहीं उतरतीं। असंगठित क्षेत्र का सीधा–सा अर्थ है असुविधाओं और अभावों वाला क्षेत्र, जहां जीवन के मौलिक अधिकार भी अक्सर बेमानी होते हैं। बाकी सुविधाएं तो दूर की बात हैं।

किसी तरह जिंदगी कट गई तो सौभाग्य, वरना दुर्घटना, आपदा, आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियां वक्त से पहले और सबसे पहले इस क्षेत्र के उद्यमों और श्रमिकों को निवाला बनाती हैं।

निष्कर्ष

असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सबसे दयनीय हालत में हैं। यह सोचने की बात है कि जिस देश की लगभग तिरानवे फीसदी श्रमशक्ति दयनीयता के अंधेरे में जीवन बसर करती हो, वह देश किस उजाले की बात कर सकता है! देश की मौजूदा सरकार ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए दो बड़े कदम उठाए, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के रूप में उठाए गए दोनों कदम अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अन–उपचारिक ही साबित हुए। आठ नवंबर, 2016 की रात लागू की गई नोटबंदी के कारण 31 दिसंबर, 2016 तक ही असंगठित क्षेत्र में साठ फीसदी श्रमिक बेरोजगार हो गए थे, और छोटे कारोबारों, दुकानों और सूक्ष्म उद्यमों के राजस्व में सैंतालीस फीसदी की गिरावट आ गई थी। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने का सरकार का दूसरा बड़ा कदम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) था। प्रवासी मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, स्वरोजगारी, दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक इन कानूनों के दायरे से ही बाहर हैं। रोजगार के अभाव में असंगठित श्रमिकों के भूख से भी मरने की नौबत आ पहुंची है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, अनुपम, (1999) *भारतीय अर्थव्यवस्था आज तक,* सहित्य भवन, आगरा।
2. गुप्ता एस.सी. एवं अग्रवाल एम.डी. (2008) *ग्रामीण रोजगार वर्तमान स्थिति तथा भविष्य के लिए रणनितियाँ,* पृष्ठ 195 इनाश्री पब्लिशर्स रायुपर।
3. पंत, डी.सी. (2009) *भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग,* पृष्ठ 210 विश्व भारती पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. रुद्रदत्त, के.पी. एवं सुन्दरम् (2005) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* नई दिल्लीः एस चाँद एण्ड कम्पनी लि.
5. आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार, विभिन्न प्रतियाँ 2012–13।
6. सिंह जे. (2003), महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारिता योजना अगस्त (45)।
7. जैन इन्दु (2007) ग्रामीण श्रमिकों की दशा और दिशा कुरक्षेत्र मई, 53।
8. www.vikipidiya.com
9. www.google.com
10. दैनिक भास्कर,
11. नई दुनिया
12. हरिभूमि

****